न्यायालय जिला कलक्टर सीकर

पीठासीन अधिकारी कमर उल जमान चौधरी, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 08/2023/अपील

रामचन्द्र सिंह पुत्र हनुमान सिंह, जाति जाट, निवासी लक्ष्मणा का बास, तहसील व जिला सीकर राज.

—अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती गंगा देवी पत्नि श्री हनुमान सिंह
2. राकेश कुमार पुत्र श्री बनवारी लाल
3. बनवारी लाल पुत्र श्री हनुमान सिंह

समस्त जाति जाट, निवासीगण ग्राम लक्ष्मणा का बास, तहसील व जिला सीकर राज.

4. तहसीलदार सीकर, तहसील व जिला सीकर राज.
5. उप पंजीयक, सीकर, तहसील व जिला सीकर राज.

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः—

1. श्री जवाहरलाल जांगिड़, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता रेस्पो. सं. 1 व 2 की ओर से।
3. श्री राकेश कुमार, अधिवक्ता रेस्पो. सं. 3 की ओर से।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 04.02.2022 द्वारा तहसीलदार सीकर
बाबत नामान्तकरण संख्या 1273 दिनांकित 31.01.2022

निर्णय

दिनांकः 11 जून, 2024

1. यह अपील वकील **श्री जवाहरलाल जांगिड़** द्वारा तहसीलदार सीकर ग्राम दौलतपुरा के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1273 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से हैं:—

   (1) ग्राम दौलतपुरा, तहसील व जिला सीकर राज. में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 613 रकबा 2.03 है. में अपीलान्ट का हिस्सा 1/12 की भूमि पर कब्जा काश्त व खातेदारी है। उक्त कृषि भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 ने साजिश,

कमर चौधरी

षडयंत्र के तहत एक दिखावटी विक्रय पत्र निष्पादित कर लिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने रेस्पोडेन्ट 5 के साथ षडयंत्र, साजिश के तहत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से अपने पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी, सीकर द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 04.06.2015 के दौरान एक विक्रय पत्र दिनांक 21.01.2022 को उप पंजीयक कार्यालय, सीकर में निष्पादित करवा लिया। उक्त विकय पत्र की आड में रेसपोडेन्ट संख्या 2 व 3 रेस्पोडेन्ट संख्या 5 से सांठ गांठ कर अवैध रूप से नामान्तकरण संख्या 1273 दिनांक 04.02.2022 स्वीकार करवा लिया।

(2) ग्राम दौलतपुरा में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 613 रकबा 2.03 है. के सम्बंध में राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर के समक्ष एक वाद मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 77/2015 लम्बित है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर द्वारा उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 77/2015 में कृषि भूमि खसरा नम्बर 1061, 1062, 1063, 1090, 1091/1207 ग्राम लक्ष्मणा का बास एवं खसरा नम्बर 613 वाके ग्राम दौलतपुरा की कृषि भूमियों के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत प्रतिबंधित किया हुआ है। किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ने उक्त न्यायालय के स्थगन के बावजूद षडयंत्र के तहत विक्रय पत्र दिनांक 21.01.2022 पंजीबद्ध करवाया है।

(3) ग्राम दौलतपुरा में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 613 रकबा 2.03 है. का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 के पिता हनुमान सिंह के समय ही हिस्सा 1/12, 1/12, 1/12 के अनुसार मौके पर कब्जा काश्त, खातेदारी तय कर ली थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम महज हिस्सा 1/16 की खातेदारी दर्ज थी उक्त गलत दर्ज खातेदारी की आड़ में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने षडयंत्र के तहत अपीलान्ट की वृद्ध माता जो अनपढ़ 85 वर्षीय महिला है से साज के तहत बिना विधि पूर्ण कब्जा व बिना प्रतिफल अदा किये दौराने स्थगन आदेश उक्त विक्रय पत्र निष्पादित करवाया है जबकि मौके पर कब्जा आदि हस्तान्तरण ही नहीं हुआ है।

(4) अपीलान्ट को चुनौतिग्रस्त नामान्तकरण संख्या 1273 की जानकारी होने पर उक्त नामान्तकरण को निरस्त करवाने निमित शिकायत जिला कलेक्टर, सीकर को की गयी उक्त शिकायतों के आधार पर नामान्तकरण को निरस्त नहीं किये जाने पर अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार सीकर को दिनांक 12.04.2023 को नकल प्राप्त करने के आवेदन पेश किया जिस पर दिनांक 13.04.2023 को चुनौतिग्रस्त

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

नामान्तकरण की नकल प्राप्त हुई। नकल प्राप्ति से अपील अन्दर मियाद पेश है फिर भी धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन अलग से पेश है।

(5) अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर चुनौतिग्रस्त नामान्तकरण संख्या 1273 दिनांकित 31.01.2022 को निरस्त कर आदेशित किया जावें कि ग्राम दौलतपुरा की भूमि खसरा नम्बर 613 का कब्जा, काश्त के अनुसार अपीलान्ट के पक्ष में हिस्सा 1/12 भूमि का नामान्तकरण तस्दीक फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए नोटिस तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

3. रेस्पो. सं 1 व 2 की ओर से वकील श्री प्रभातीलाल एवं रेस्पो. सं. 3 की ओर से वकील श्री राकेश कुमार उपस्थित हुए।

4. अपीलांट के वकील द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस के तथ्य संक्षेप में निम्नानुसार हैं–

i. ग्राम दौलतपुरा तहसील व जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 613 रकबा 2.03 हैक्टेयर के सम्बन्ध में राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर में लम्बित प्रकरण अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 77/2015 में न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 04.06.2015 को भूमि खसरा नम्बर 1061, 1062, 1063, 1090, 1090/1207 ग्राम लक्ष्मणा का बास एवं खसरा नम्बर 613 ग्राम दौलतपुरा तहसील व जिला सीकर की कृषि भूमियों के रिकार्ड की यथारिथति बनाये रखने बाबत प्रतिबंधित किया है। उक्त स्थगन आदेश के बावजूद तहसीलदार सीकर द्वारा खसरा नम्बर 613 पर नामान्तरण संख्या 1273 दिनांक 31.01.2022 को दिनांक 04.02.2022 को स्वीकार किया है।

ii. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से षड़यंत्र के तहत बिना विधिक प्रतिफल अदा किये तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा जारी स्थगन आदेश के बावजूद विधि विरूद्ध विक्रय पत्र निष्पादित करवाया है।

iii. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कृषि भूमि को विक्रय करने की कोई आवश्यकता नहीं रही है और न ही है। अपीलान्ट द्वारा अपनी माता का भरण पोषण व रख रखाव किया जाता है।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

5. रेस्पो. संख्या 1 व 2 की ओर से एक आवेदन अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. मय विधिक आपत्ति पेश किया गया है। जिसके तथ्य संक्षेप में निम्नानुसार हैं।

   i. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने कब्जा काश्त सहखातेदारी की कृषि भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में दिनांक 20.01.2022 को बेचान करके दिनांक 21.01.2022 को विक्रय पत्र निष्पादित व पंजीकृत करवाया था। उक्त विक्रय पत्र सही एवं सत्य है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपने खातेदारी की कृषि भूमि की हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के प्रावधानो के अनुसार पूर्ण स्वामिनी रही है जिसे अपनी कृषि भूमि को विक्रय करने का पूर्णतया कानूनी अधिकार प्राप्त रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने विक्रय पत्र में वर्णित प्रतिफल राशि प्राप्त करके बेचान किया था एवं कब्जा क्रेता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को वास्तविक एवं व्यवहारिक संभलाया था तत्पश्चात नामान्तकरण संख्या 1273 दिनांक 31.01.2022 को केता के पक्ष में स्वीकृत किया था। उक्त नामान्तकरण का अपीलांट रामचन्द्र पक्षकार नही है। जिस कारण उसे धारा 96 सीपीसी के तहत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त किये बिना अपील प्रस्तुत करने का विधिक अधिकार नहीं है। धारा 96 सीपीसी के तहत अनुमति के बिना प्रस्तुत अपील विधि द्वारा वर्जित है तथा जो कोई व्यक्ति नामान्तकरण कार्यवाही का पक्षकार नहीं हो उसे धारा 96 सीपीसी के तहत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति लेना आज्ञापक कानूनी प्रावधान है।

   ii. अपील प्रस्तुत करने का अपीलांट का कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं है क्योंकि विक्रय पत्र में वर्णित कृषि भूमि से अपीलांट का कोई संबंध अथवा सरोकार नही है एवं लोकस स्टेण्डाई का बिन्दू विधिक बिन्दू होने के कारण बिना लोकस स्टेण्डाई के अपील मेन्टेनेबल नहीं है।

   iii. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सर्वथा मियाद बाहर है अपील प्रस्तुत करने की परिसीमा अवधि नामान्तकरण स्वीकृत होने से 30 दिवस है। जिसका प्रावधान राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1975 में किया हुआ है।

   iv. अतः निवेदन है कि अपील विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किया जाने की कृपा करे।

6. हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। दौराने बहस उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं ने उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदनों अथवा आपत्तियों में दर्ज तथ्यों के अनुरूप कथन किये।

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

दौराने बहस अपीलांट के अधिवक्ता ने एक आवेदन अंतर्गत धारा 96 सी.पी.सी. पेश करते हुए कथन किया कि धारा 96 सी.पी.सी. के प्रावधान मूल डिक्री की अपील पेश करने का प्रभावी होते है। अपीलांट के अधिवक्ता ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर में विचाराधीन राजस्व वाद प्रकरण संख्या 11/2015 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. बउनवानी लक्ष्मी बनाम रामकुमार के दस्तावेज भी दौराने बहस पेश किये हैं।

रेस्पो. के अधिवक्ता का कथन है कि अपील प्रस्तुत करने का अपीलांट का कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं है क्योंकि विक्रय पत्र में वर्णित कृषि भूमि से अपीलांट का कोई संबंध अथवा सरोकार नही है एवं लोकस स्टेण्डाई का बिन्दू विधिक बिन्दू होने के कारण बिना लोकस स्टेण्डाई के अपील मेन्टेनेबल नहीं है। साथ ही कथन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर में विचाराधीन राजस्व वाद प्रकरण संख्या 11/2015 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. बउनवानी लक्ष्मी बनाम रामकुमार में रेस्पो. संख्या 1 को बतौर पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है, जिस कारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा पारित स्थगन से रेस्पो. प्रतिबंधित नहीं है।

7. रेस्पों. के अधिवक्ता ने निम्न कानून की नजीरें पेश की हैं।
   a) 2024(1)DNJ[Rev.], Page No. 48 to 52, Madanlal Vs. Bhagwan Sahay
   b) RRT 2018(2), Page No. 1552 to 1555, Hardevaram Vs. Gram Panchayat
   c) RRT 2012(1), Page No. 375 to 386, Meema Vs. State of Rajasthan
   d) RRT 2011(2), Page No. 851 to 852, Bansi Lal Vs. E.O.
   e) RRT 2021(1), Page No. 336 to 339, State of Rajasthan Vs. Jagdish
   f) RRT 2009-10(Supp.), Page No. 535 to 542, O.A.C. Ind. Ltd. Vs. G.I.D. Corp.
   g) RLW 2002 RJ, Page No. 409 to 410, Gajraj Vs. Kesri Singh
   h) अपील, निर्देश, पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन धारा 78, अपीलों के लिए परिसीमा
   i) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14

8. हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्रस्तुत कानूनों एवं नजीरों का सम्मानपूर्वक अध्ययन किया। जिससे निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं, कि:-
   (1) अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मूलतः भूमि खसरा नम्बर 613 ग्राम दौलतपुरा में तस्दीक हुए विक्रय पत्र दिनांकित 21.01.2022 उपरांत तहसीलदार सीकर द्वारा

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर